

[This question paper contains 6 printed pages.]

**2452**

*Your Roll No. ....*

**LL.B. / I Term**

**F**

Paper LB-102 : PRINCIPLES OF CONTRACT

**Time : 3 Hours**

**Maximum Marks : 100**

(Write your Roll No. on the top immediately  
on receipt of this question paper.)

**Note :-** Answers may be written either in English or in Hindi,  
but the same medium should be used throughout the  
paper.

**टिप्पणी :-** इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा  
में लिखिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

*Attempt any Five questions.*

**All questions carry equal marks.**

**किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए।**  
**सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।**

1. Discuss the law governing communication of acceptance and explain when communication of acceptance is complete when it is sent by post, telephone e-mail & whatsApp.

**P.T.O.**

प्रतिग्रहण की संस्थना को अधिशासित करते वाली विधि का विवेचन कीजिए और संस्थना डाक - टेलीफोन ई - मेल और ब्लॉटसएप द्वारा भेजी गई है तब प्रतिग्रहण की संस्थना करव पूर्ण होती है। सार्ट कीजिए।

2. Write comments on any two of the following cases:

(a) Carllill V. Carbolic Smoke Ball Co.

(b) Harvey V Facey

(c) Haridwar Singh V Begum Sumbrai

निम्नलिखित केसों में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए:

(a) Carllill V. Carbolic Smoke Ball Co.

(b) Harvey V Facey

(c) Haridwar Singh V Begum Sumbrai

3. Explain the definition and essentials of consideration.

An old lady by deed of gift, made over certain landed property to the defendant, her daughter. By the terms of the deed, which was registered, it was stipulated that an annuity of Rs 5 lakh per annum should be paid every year to the plaintiff who was the brother of the old lady. The defendant on the same day executed an agreement in the plaintiff's favour to give effect to

the stipulation of gift deed. The annuity was, however, not paid and the plaintiff sued to recover it. Decide

प्रतिफल की परिणामा तथा आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। एक बुद्ध औरत ने उपहार-विलेख के द्वारा अपनी कपिय पू-सपनि प्रतिवादी - अपनी पुत्री को हस्तांतरित कर दी विलेख, जो कि रजिस्टर्ड था, के निवन्धनों द्वारा यह अनुबद्ध किया गया था कि प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए की वार्षिकी का भुगतान वादी को, जो बुद्ध औरत का भाई था, किया जाना चाहिए। प्रतिवादी ने उसी दिन वादी के पक्ष में उपहार - विलेख के अनुबंध को प्रभावी बनाने के लिए करार - पत्र निष्पादित किया। किन्तु वार्षिकी का भुगतान नहीं किया गया तथा वादी ने इसकी वसूली के लिए वाद चलाया। विनिश्चय कीजिए।

4. Explain the nature of an agreement with a minor with reference to statutory provisions and decision of Privy Council in **Mohori Bibee V Dharmodas Ghose**. Whether a minor, who, by falsely representing himself to be a major, has induced a person to enter into a contract is estopped from pleading his minority to avoid the contract.

कानूनी उपबंधों और मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष चामले में प्रिवी काउसिल के विनिश्चय को निविष्ट करते हुए अवयस्क के साथ करणनामा के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। क्या वह अवयस्क जो झूठ बोल कर अपने आपको वयस्क घोषित करके किसी व्यक्ति को सविदा

करने के लिए उत्तेजित करता है, संविदा से बचने के लिए अवयस्कता का अभिवाक करने से विवरित है?

5. What are the essential ingredients of undue influence and how a plaintiff who seeks relief on this ground should proceed to prove his case and when the defendant is called upon to show that the contract was not induced by undue influence. Discuss the three stages for consideration of a case of undue influence which were expounded in the case of **Raghunath Prasad V Sarju Prasad** and applied by Supreme Court in **Subhash Chandra V Ganga Prasad**.

अनुचित प्रभाव के आवश्यक तत्व क्या हैं। किसी वादी को, जो इस आधार पर अनुतोष चहता है, अपना केस साबित करने के लिए और जब प्रतिवादी से यह दर्शनी के लिए कहा गया है कि संविदा अनुचित प्रभाव से उत्तेजित नहीं की गई थी, किस प्रकार अपाली कार्डिवार्ड करनी चाहिए। अनुचित प्रभाव के केस के प्रतिफल हेतु उन तीन अवस्थाओं का विवेचन कीजिए जिनका रघुनाथ प्रसाद बनाम सरजू प्रसाद केस में प्रतिपादन किया गया था और जिनको उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्धार घन्ट बनाम गंगा प्रसाद केस में लागू किया गया था।

6. "The doctrine of frustration is really an aspect or part of the law of discharge of contract by reason of supervening impossibility of the act agreed to be done

and hence comes within the purview of section 56 of Indian Contract Act." Examine the validity of the above statement with reference to decided cases.

"विफलीकरण का सिद्धान्त जिस कार्य को किए जाने का करार हुआ है उसके बीच में आ पड़ने वाली असंभवता के कारण संविदा के उन्मोचन की विधि का वस्तुतः एक पक्ष या भाग है, अतः भारतीय संविदा अधि नियम की धारा 56 की सीमा के अन्तर्गत आता है।" विनिश्चित केसों के निर्देश सहित उपर्युक्त कथन की वैधता की जांच कीजिए।

7. Write short notes on any two of the following:

- (a) When and how can a proposal be revoked?  
 (b) Privity of Contract  
 (c) Obligation of person enjoying the benefit of non-gratuitous act

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :  
 (क) कोई प्रस्थान कब तथा किस प्रकार प्रतिसंहारित की जा सकती है?

(ख) गोपनीयात्मक वाक्यांश  
 (ग) अपानुभवित कार्य का राजा भोगने वाले व्यक्ति की बाध्यता।

8. "Where two parties have made a contract which one of them has broken, the damages which the other party ought to receive in respect of such breach of contract should be such as may fairly and reasonably be considered either arising naturally, i.e., according to the usual course of things, from such breach of contract itself, or such as may reasonably be supposed to have been in the contemplation of both parties, at the time they made the contract, as the probable result of the breach of it." Examine the above statement and explain the difference between general damages and special damages with reference to statutory provisions and decided cases.

"जहाँ दो पक्षकारों के बीच समिदा हुई जिसको उनमें से एक ने भंग कर दिया है वहाँ ऐसे समिदा भंग के बारे में अन्य पक्षकार को जो नुकसानी प्राप्त होनी चाहिए वह ऐसी हो जो ऋजुतापूर्वक तथा युक्तिपूर्वक ऐसी मानी जा सके जो या तो स्वाभाविक रूप में तय हुई हो अर्थात् स्वयं समिदा भंग से सामान्य अनुकूल के अनुसार तय हुई हो या ऐसी हो जो समिदा के करने समय उसके भंग के प्रायिक परिणामस्वरूप होते हुए दोनों पक्षकारों के द्वारा युक्तियुक्त रूप में अवेक्षित की गई मानी जाए।" उपर्युक्त कथन की जांच कीजिए और कानूनी उपबंधों तथा विनिश्चित केसों के निर्देश सहित सामान्य नुकसानी और विशेष नुकसानी के बीच अन्तर को स्पष्ट कीजिए।